

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना कमालगंज

दि0-09.12.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त नरेश पुत्र पुनूलाल निवासी बझेरा मलिक पट्टी थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ मु०अ०सं०- 208/1995 वाद संख्या 21065/24 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा० न्यायालय एसीजेएम एफटीसी कोर्ट द्वारा दिनांक 09.12.2025 को अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 03 वर्ष का कारावास की सजा व 1000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



पीओ - श्री चन्दरेश कुमार



को० मो० म०हे०का० मंजुला



पैरोकार हे०का० मोहित कुमार



मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



कोतवाली फर्रुखाबाद



[#MissionShakti](#)



मिशन शक्ति 5.0



कोतवाली मोहम्मदाबाद

[#Fatehgarhpolic](#)



मिशन शक्ति 5.0



थाना कम्पिल





मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



थाना जहानगंज



[#MissionShakti](#)





मिशन शक्ति 5.0



थाना शमसाबाद



मिशन शक्ति 5.0



थाना कमालगंज



Fatehgarhpolice